# (मैनुअल-4)

# नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

- ग्राम पंचायतो  के सुद्ढीकरण एंव विकास कार्या के सफल क्रियान्वयन के लिए नीति निर्धारण हेतु निदेशालय स्तर पर उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि का गठन  नियमावली-वर्ष 1973 के अन्तर्गत किया गया है। इसके अध्यक्ष निदेशक, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश तथा संयोजक अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक प्रशासनद्ध है।
- पंचायत सामान्य लाभ निधि की नियमावली में एक परामर्श समिति गठित करने का प्राविधान है, जिसमें प्रदेश के पाॅंच प्रधान सदस्य शासन स्तर से मनोनित किये जानें की व्यवस्था है।
- परामर्श समिति की बैठकों के अन्तर्गत पंचायतों के सुदृढ़ीकरण ,सामाजिक विकास एंव ग्रामीण क्षेत्र के सर्वागीण विकास पर सुझाव प्राप्त किये जाते है।
- पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए समय-समय पर प्रदेश स्तर पर पंच सम्मेलनों का आयोंजन किया जाता है। जिसमंे प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत-प्रधान, क्षंेत्र पंचायत-प्रमुख , जिला पंचायत -अध्यक्ष तथा माननीय विधान मण्डल / परिषद के सदस्य तथा प्रदेश के लोकसभा सदस्य कों आमंत्रित किया जाता है।
- पंच सम्मेलनों में प्राप्त प्रस्तावों पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श कर समय-समय पर निति निर्धारण से सम्बन्धित निर्णय लियें जातें है।